रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042022-235351
CG-DL-E-25042022-235351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/वैशाख 5, 1944
No. 300]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 314(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो, निदेशक (अयस्क प्रसाधन), मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), अयस्क प्रसाधन अधिकारी, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी और सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक इसका संबंध अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) और उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय के भारतीय खान ब्यूरो में अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) और उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) और उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन)	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.)	चयन पद।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीर्धी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(i) 33% अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 67% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु.) के ऐसे अयस्क प्रसाधन अधिकारी जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा के साथ, और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खनिज सज्जीकरण या खनिज अभिलक्षणन के क्षेत्र में दो सप्ताह का सेवा-कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु.) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अयस्क प्रसाधन या खनिज प्रसंस्करण या भूविज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनिज इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, और (ii) विभिन्न अयस्कों और खनिजों के सज्जीकरण हेतु खनिज सज्जीकरण और/अथवा खनिज अभिलक्षणन का संचालन करने वाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या अर्ध-सरकारी या वैधानिक संगठनों की किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संयंत्र में बारह (12) वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:** प्रोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. अपर सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप- अयस्क प्रसाधन अधिकारी।	20* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11 (67700-208700/- रू.)	चयन पद।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
40 वर्ष । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अयस्क प्रसाधन या खनिज प्रसंस्करण या भौतिकी या रसायन विज्ञान में स्नाकोत्तर डिग्री, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनिज इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में बीई या बीटेक, (ii) विभिन्न अयस्कों और खनिजों के सज्जीकरण हेतु खनिज सज्जीकरण और/अथवा खनिज अभिलक्षणन का संचालन करने वाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों की किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संयंत्र में 7 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अयस्क प्रसाधन या भूविज्ञान या खनिज प्रसंस्करण या भौतिकी या रसायन विज्ञान में डॉक्ट्रेट की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनिज इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में एमटेक या एमई। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में	आयु- नहीं। शैक्षिक अर्हता- हां।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा। (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा।

	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर –10 (56100-177500 रू.) में ऐसे सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खनिज सज्जीकरण या खनिज अभिलक्षणन के क्षेत्र में दो सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय – अध्यक्ष ; 2. निदेशक, खान मंत्रालय – सदस्य ; 3. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो – अध्यक्ष; 2. उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य ; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 22/4/2011-खान III-भाग (1)]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2022.

G.S.R. 314 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Bureau of Mines, Director (Ore Dressing), Chief Ore Dressing Officer, Superintending Officer (Ore Dressing), Ore Dressing Officer, Deputy Ore Dressing Officer, Assistant Ore Dressing Officer and Assistant Research Officer (Ore Dressing) Recruitment Rules, 2003, in so far as it relates to the posts of Superintending Officer (Ore Dressing) and Deputy Ore Dressing Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Superintending Officer (Ore Dressing) and Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Superintending Officer (Ore Dressing) and Deputy Ore Dressing Officer Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Superintending Officer (Ore Dressing)	06* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (Rs. 123100-215900) in pay matrix.	Selection post.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 33% by deputation including Short Term Contract. (ii) 67% by Promotion failing which Deputation including Short Term Contract.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion: Ore Dressing Officer in Level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, and have successfully completed two weeks of in-service training in the field of Mineral Beneficiation or Mineral Characterization conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised research Institutions or Autonomous bodies or statutory organizations; (A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience as below :- (i) Masters Degree in Ore Dressing or Mineral Processing or Geology or Chemistry or Physics from recognized University or Institution, OR Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution, and (ii) Twelve (12) years experience in a recognised laboratory or plant of Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or recognized research Institutions or Autonomous bodies or Semi-Government or statutory organizations conducting Mineral Beneficiation and/or Mineral Characterisation for beneficiation of various ores and minerals. **Note-1:** The departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note-3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Additional Secretary, Ministry of Mines - Member; 3. Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing on Deputation (Including Short Term Contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Ore Dressing Officer	20* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700) in pay matrix.	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
40 Years (relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** (i) Masters Degree in Ore Dressing or Mineral Processing or Geology or Physics or Chemistry from recognised University or Institution, OR Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution, (ii) Seven years experience in a recognised laboratory or plant of Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or recognised research Institutions or Autonomous bodies or statutory organisations conducting Mineral Beneficiation and/or Mineral Characterisation for beneficiation of various ores and minerals. **Desirable**: (i) Doctorate Degree in Ore Dressing or Geology or Mineral Processing or Physics or Chemistry from a recognised University OR Master of Technology in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Age- No Educational Qualification- Yes	One year for Direct Recruits	(i) 50% by Promotion. (ii) 50% by Direct Recruitment.

	Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)
Promotion: Assistant Ore Dressing Officer in Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed two weeks of in-service training in the field of mineral Beneficiation or mineral Characterisation conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary, Ministry of Mines - Chairman; 2. Director, Ministry of Mines - Member; 3. Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines -Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines - Chairman; 2. Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines - Member; 3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 22/4/2011-M.III-Part (1)]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.25 22:58:03 +05'30'